न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 483/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री अनिल प्रधान – विक्रेता

श्रीमती मीरा देवी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
03.09.2020	**आदेश** आवेदक श्री अनिल प्रधान पिता स्व0 लोधम प्रधान ग्राम–बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी, ने श्रीमती मीरा देवी पति श्री सन्तोष कुमार ग्राम–टिमड़ा, पो0–कर्रा, थाना कर्रा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है। ग्राम: बिचना; थाना नं0: 262; खाता नं0: 55; खेसरा सं0: 1072; रकबा (एकड़ में): 0.10	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	55	1072	0.10

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0675611917 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 487 दिनांक 11.08.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम मेघनाथ प्रधान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मंगरा प्रधान वगैरह के नाम भूमि का रकवा 37.8 एकड़ है। आवेदक के हिस्से में कुल रकवा 6. 30 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 6.20 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं वि क्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री अनिल प्रधान पिता स्व0 लोधम प्रधान को श्रीमती मीरा देवी पति श्री सन्तोष कुमार के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 55 खेसरा संख्या 1072 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।